**भारत सरकार**

**सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय**

**लोक सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या 533**

**उत्तर देने की तारीख : 04.02.2021**

**रुग्ण एमएसएमई का पुनर्गठन**

**533. श्री बी. वाई. राघवेन्द्रः**

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) गत तीन वर्षों के दौरान देश के रुग्ण सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) की कुल संख्या कितनी है;

(ख) क्या भारतीय रिज़र्व बैंक ने रुग्ण एमएसएमई के बैंक ऋण के पुनर्गठन के लिए एक विशेष समिति नियुक्त की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) रुग्ण एमएसएमई के बैंक ऋण के पुनर्गठन की मुख्य विशेषताएं क्या हैं; और

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान पुनर्गठन किए गए लघु उद्योगों की राज्य/वर्ष और उद्योग-वार संख्या कितनी है?

**उत्तर**

**सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री**

**(श्री नितिन गडकरी)**

(क) से (घ) : भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मार्च, 2016 में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) को 'सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के पुनरुद्धार और पुनर्वास के लिए फ्रेमवर्क' पर दिशा-निर्देश जारी किए गए। इन दिशानिर्देशों के जारी होने के साथ, रूग्णता की अवधारणा अब मौजूद नहीं है। इस फ्रेमवर्क के अंतर्गत बैंकों को एमएसएमई खातों में प्रारंभिक दबाव की पहचान करने और इसे सुधारात्मक कार्य योजना के लिए सुधार, पुनर्गठन और वसूली हेतु फ्रेमवर्क के अंतर्गत गठित समिति के पास भेजने की सलाह दी गई है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मार्च, 2017 को समाप्त छमाही से लेकर मार्च, 2020 को समाप्त छमाही तक के लिए एमएसएमई के पुनरूद्धार और पुनर्वास से संबंधित उपलब्ध नवीनतम आंकड़े अनुबंध-I में दिए गए हैं।

इसके अतिरिक्त, दबाबग्रस्त एमएसएमई खातों के अर्थपूर्ण पुनर्गठन को सुविधाजनक बनाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने कुछ शर्तों के अध्यधीन एमएसएमई को ऋणों के एक बार पुनर्गठन की अनुमति दी है। संशोधित दिशानिर्देशों के तहत एमएसएमई ऋण प्राप्तकर्ता खातों के पुनर्गठन को 31 मार्च, 2021 तक लागू किया जाना है और ऐसे ऋण प्राप्तकर्ता खातों, जो 2 मार्च, 2020 और कार्यान्वयन की तारीख के बीच एनपीए की श्रेणी में आ गए हैं, को पुनर्गठन योजना के कार्यान्वयन की तारीख तक 'मानक परिसंपत्ति' के रूप में स्तरोन्नत किया जा सकता है।

*****

**अनुबंध- I**

**लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 533, जिसका उत्तर 04.02.2021 को दिया जाना है, के भाग (क) से (घ) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध**

एमएसएमई के पुनरुद्धार और पुनर्वास के लिए फ्रेमवर्क पर आंकड़े

(वास्तविक लेखा)

| क्र.सं. | छमाही के लिए | छमाही के दौरान समिति को भेजे गए खाते (1) | छमाही के दौरान समिति द्वारा निपटाए गए खाते (2) | समिति द्वारा सुधारात्मक कार्य योजना (2 में से) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | सुधार | पुनर्गठन | वसूली |
| 1 | अक्टूबर 2016-मार्च 2017 | 100803 | 137282 | 80905 | 2197 | 54180 |
| 2 | अप्रैल 2017- सितम्बर 2017 | 87062 | 95107 | 58512 | 207 | 36388 |
| 3 | अक्टूबर 2017 - मार्च 2018 | 130208 | 130473 | 81492 | 1024 | 47957 |
| 4 | अप्रैल 2018 - सितम्बर 2018 | 150165 | 123227 | 76172 | 201 | 46854 |
| 5 | अक्टूबर 2018 से मार्च 2019 | 142275 | 146519 | 78737 | 15425 | 52357 |
| 6 | अप्रैल 2019 - सितम्बर 2019 | 172949 | 150613 | 71203 | 14240 | 65170 |
| 7 | अक्टूबर 2019 - मार्च 2020 | 339728 | 324621 | 71938 | 148369 | 104314 |

स्रोत : भारतीय रिजर्व बैंक

*समितियों द्वारा निपटाए गए मामलों की संख्या उन्हें भेजे गए मामलों से अधिक है जिसका कारण छमाही के प्रारंभ में समितियों के पास कुछ लंबित मामले थे जिन्हें उक्त अवधि के दौरान निपटाया गया है।

******